पत्रांक / / आयु0कर0उत्तरा0 / वाणि0क0 / विधि–अनु0 / प0सं0–49(13–14) / 13–14 / देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

दिनांकः देहरादूनः 02 सितम्बर, 2013

आदेश

पूर्व जारी आदेश सं0 2330 / आयु0कर0उत्तरा0 / वाणि0कर / विधि–अनुभाग / 12–13 / देहरादून दिनांक 13.08.2013 के क्रम में, उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियम 2005 के नियम 11 के उपनियम (1) के अन्तर्गत आदेशित किया जाता है :

1– कि ऐसे व्यापारी, करनिर्धारण वर्ष 2012–13 में जिनकी वार्षिक टर्नओवर रू0 50 लाख अथवा उससे कम रही हो, अथवा करनिर्धारण वर्ष 2013–14 में जिनके व्यापार का प्रथम वर्ष हो, के लिए यह विकल्प उपलब्ध होगा कि वे करनिर्धारण वर्ष 2013–14 से संबंधित सावधिक विवरणीएवं उसके अनुलग्नकों को Online दाखिल करें अथवा पूर्व की व्यवस्था के अनुसार सावधिक विवरणी को बगैर अनुलग्नकों को ऑनलाईन दाखिल करें परन्तु उसके अनुलग्नकों को हार्ड कापी में दाखिल करें; और

2– कि, सावधिक विवरणी एवं उसके अनुलग्नकों को Online submit करने वाले व्यापारियों एवं व्यक्तियों के लिए सावधिक विवरणी एवं उसके अनुलग्नकों की Hard Copy को कर निर्धारण कार्यालयों में submit किये जाने की अनिवार्यता को निम्न शर्तों के साथ शिथिल किया जाता है–

(क) ऐसी विवरणी के "Acknowledgment" की computer generated हस्ताक्षरित प्रति, देय कर एवं अन्य देयों के जमा के प्रमाण सहित, संबंधित करनिर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत(submit) की जायेगी; तथा

(ख) ऐसी सावधिक विवरणी एवं उसके अनुलग्नक की Hard Copy को उतनी अवधि के लिए संरक्षित रखा जायगा जितनी अवधि के लिए संबंधित अवधि की लेखा बहियॉ संरक्षित रखा जाना निर्धारित है; तथा

(ग) संरक्षित रखी गयी ऐसी हार्ड कापी, मांगे जाने पर करनिर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

(सौजन्या)

आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 2610 / दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित–

1–प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देरहादून।

2–महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैसेल, इन्द्रानगर, देहरादून।

3– सलाहकार कर, उत्तराखण्ड, शासन देहरादून।

4—एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन, देहरादून/कुमांऊ जोन, रूद्रपुर।
5—एडिशनल कमिश्नर (आडिट/प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय, देहरादून।
6—ज्वाइन्ट **कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिूसचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधिनस्थ समस्त अधिकारियों/बार एसोसियेशन के** पदाधिकारियों/**व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**
7—ज्वान्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
8—ज्वाइन्ट कमिश्नर **(वि0अनु0शा0/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, हरिद्वार/रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**
9—**श्री रोशन लाल, डिप्टी कमिश्नर(क0नि0—3), देहरादून एवं** Web-Information Officer **को** NIC **एवं विभागीय** Website **पर** Update **करने हेतु।**
10—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड रूड़की को आगामी राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ।
11—आई0टी0—**अनुभाग मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को** E-mail **द्वारा प्रेषित कर दें।**
12—Intavatt Info. Pvt. 4 फेयरी मैनर IInd Floor 13- आर0 सिंधुआ मार्ग, मुम्बई—400001 महाराष्ट्र।
13—National Law House बी—2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
14—National Law and Manaagement House 15/5 राजनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
15-Swastk Publication एस0ई—233, शास्त्री नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
16—Law Book Traders 10—नगर निगम कम्पाउण्ड केसरगंज रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश।
17—डिप्टी कमिश्नर (उच्च नया0 कार्य0) वाणिज्य कर, नैनीताल।
18—अध्यक्ष, इण्डस्ट्रीयज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड सत्या इण्डस्ट्रीज, मोहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र, देहरादून।
19—प्रान्तीय उद्योगर व्यापार प्रतिनिधि मण्डल कार्यालय क्वालिटी हार्डवेयर गांधी रोड, देहरादून।
20—दून उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल कार्यालय क्वालिटी हार्डवेयर गांधी रोड, देहरादून।
21—प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल समिति, उत्तराखण्ड, सर्वश्री दीवान ट्रेंडिंग कम्पनी 81—मोती बाजार, देहरादून।
22—The whole sale dealers Association 14 आढ़त बाजार देहरादून।
23—प्रान्तीय इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन 222/5 गांधी ग्राम, देहरादून।
24—कार्यालय अधीक्षक/विधि—अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।
25—शोध अनुभाग/स्थापना—अनुभाग मुख्यालय हेतु।
26—समस्त अनुभाग अधिकारी/अनुभाग।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।